राजस्व विभाग (क)

# विज्ञप्ति

संख्या ८०१८ एफ १५(३)रा०प०५७ ............ दिनांक ........२१-४-५८..........

चूंकि इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में बतलाई गई वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि सरकार की सम्पत्ति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन उपज उसके किसी भाग की हकदार है;

और चूंकि सरकार पूर्वोक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि को राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है;

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों की प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है;

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में अथवा उन पर सरकार अथवा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा कि जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुँचने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 ( 1953 का अधिनियम संख्या 13 ) की धारा 29 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद्द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में या उन पर सरकार या प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिये नियुक्त करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन, जहां तक व्यवहार्य हो उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1), 12, 14, 17, 18 और 19 में प्रावहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा।

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तुक ( Proviso ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद्द्वारा कथित वन-भूमि और बंजर-भूमि को रक्षित वन घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गों के वर्त्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

और उसकी धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज-पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते हैं और पूर्वोक्त तारीख से कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना, या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिये या मकान बनाने के लिये या पशु पालन के लिये अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिये तोड़ा जाना, साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची ( वन-भूमि और बंजर-भूमि )
द्वितीय अनुसूची ( आरक्षित वृक्ष )

ह०
राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन सचिव।

## प्रथम अनुसूची

| संख्या | नाम ब्लॉक | नाम तहसील | नाम जिला | सीमा | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | [illegible] | कोटडा | उदयपुर | उत्तर:- | सरहद ब्लोक [illegible] व [illegible] |
| | | | | दक्षिण:- | गुजरात प्रान्त [illegible]. |
| | | | | पूर्व :- | [illegible] नदी, [illegible], [illegible], कोटडा से [illegible] जाने वाली सडक. |
| | | | | पश्चिम:- | [illegible] नदी, [illegible], गुजरात प्रान्त |

राजस्थान राजपत्र दिनांक १९-६-५८ भाग ४(ख) पृष्ठ २६९ से २६८ तक मे प्रकाशित